

**राष्ट्रीय आवास बैंक**  
**नई दिल्ली**  
**शुद्धिपत्र**

**19 मार्च, 2019**

**विषय:** प्रस्ताव हेतु अनुरोध: आवास वित्त कंपनियों के विशेष या फॉरेंसिक लेखापरीक्षा हेतु सीए फर्म/कंपनी को पैनल में शामिल करना

आरएफपी संदर्भ सं.:- रा.आ.बैंक/डीआरएस/ए-1552/2018-19

यह अधिसूचना राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रकाशित दिनांक 12-02-2019 के आरएफपी संदर्भ सं.:- रा.आ.बैंक/डीआरएस/ए-1552/2018-19 के क्रम में है। उपर्युक्त उल्लिखित आरएफपी दस्तावेजों में निम्नलिखित संशोधनों को सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जा रहा है:

क्रम सं.	खंड सं.	आरएफपी खंड	नये खंड/संशोधित खंड/स्पष्टीकरण
1.	6.1	बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। और बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।	बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। और बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा।
2.	6.9 (ख)	आवेदक फर्म को लेखा परीक्षा/फॉरेंसिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होने के साथ पेशेवर सनदी लेखाकार होना चाहिये।	आवेदक को लेखा परीक्षा/फॉरेंसिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
3.	6.12	ईएमडी	रा.आ.बैंक का स्थायी खाता संख्या (पैन) AABCN2600H है।
4.	6.26	बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि अनुलग्नक - IV के अनुसार विचलन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।	बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि अनुलग्नक - II के अनुसार विचलन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
5.	अनुलग्नक I(4)	आईसीएआई पंजीकरण सं.	पंजीकरण सं.

बोली खोलने की तिथि को दिनांक 04-04-2019 तक बढ़ा दिया गया है।